टिप्पणी सं०	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी और तारीख सहित
1	2	3

न्यायालय अन्तर्गत अनुमण्डल पदाधिकारी, राजमहल।
वन्दोवस्ती सम्पुष्टि वाद सं0–10/11–12
आवेदिका–सीमा देवी एवं अन्य
बनाम
16 आना रैयत, मौजा बरहरवा

आदेश

03.03.18 अभिलेख आज उपस्थापित।

आवेदिका अनुपस्थित। आवेदिका दिनांक 20.09.2017 के बाद से आज तक अनुपस्थित। मौजा के 16 आना रैयतो से अपति/अन्नपति अप्राप्त। अंचल अधिकारी बरहरवा के पत्रांक 233/रा0 दिनांक 26.02.2018 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त।

अंचल अधिकारी बरहरवा ने अपने जाँच प्रतिवेदन से प्रतिवेदित किये है कि मौजा बरहरवा थाना न0 29 के अनावादी खाता 441 दाग न0 1626 रकवा 00–13–18 धूर जमीन खतियान में परती कदीम कहकर दर्ज है जो पूर्व में ही स्थानीय ग्रामीणो के बीच बन्दोबस्ती कर दी गई है।

आवेदिका के दखल के आधार पर अंचल अमीन द्वारा नापी किया गया। नापी के क्रम में अमीन द्वारा प्रतिवेदित किया है कि दखली रैयत क्रमशः सीमा देवी पति स्व0 प्रदीप साव, राजेश महतो पिता स्व0 बिहारी महतो एवं विरेन भगत पिता स्व0 शिवलाल भगत सभी साकिन– बरहरवा जो मौजा बरहरवा के खाता सं0 468 दाग न0 628 के लगभग 8–9 वर्षो से दखल में है। वर्णित भूमि खाता सं0 468 रेलवे बी क्लास की जमीन है, जिसपर बन्दोबस्ती नही किया जा सकता है।

अतएव अंचल अधिकारी, बरहरवा के जाँच प्रतिवेदन के आधार पर आवेदिका एव अन्य के द्वारा दाखिल बन्दोबस्ती आवेदन को खारिज किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

(ह०) 3/3/18
अनुमंडल पदाधिकारी
राजमहल

(ह०) 3/3/18
अनुमंडल पदाधिकारी,
राजमहल।

Scanned with CamScanner